# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

इजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

**वादीगण**

1. भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह
2. विकलसिंह पुत्र नारायणसिंह
3. जगपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण– राबड़ियावास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.)

**प्रतिवादीगण**

1. मानसिंह पुत्र नन्दसिंह
2. उमरावसिंह पुत्र नन्दसिंह
3. उदयसिंह पुत्र नन्दसिंह
4. राजकंवर पुत्री नन्दसिंह
5. भंवरकंवर पत्नी नन्दसिंह फौत के का0मु0
   - 5/1. मानसिंह पुत्र नन्दसिंह
   - 5/2. उमरावसिंह पुत्र नन्दसिंह
   - 5/3. उदयसिंह पुत्र नन्दसिंह
   - 5/4. राजकंवर पुत्री नन्दसिंह
   - 5/5. किशनसिंह पुत्र लालसिंह
   - 5/6. राजेश कंवर पत्नी लालसिंह
6. किशनसिंह पुत्र लालसिंह
7. राजेश कंवर पत्नी लालसिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण– राबड़ियावास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.)
8. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का– राबड़ियावास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज०)

## राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रा0वा0 स0: 31/2022

**निर्णय एवं डिक्री दिनांक :– 28.08.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ..........–........ व हाजरी श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री नीतेश चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 03 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा– राबड़ियावास, पटवार हल्का– राबड़ियावास, भू. अभि.निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.) में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 17.4095 हैक्टेयर(107–11 बीघा) किस्म बारानी अव्वल के वर्तमान भूमि अभिलेख में 1/2 हिस्से में दर्ज मोहब्बतसिंह एवं नंदसिंह जी के पारिसान प्रतिवादीगण "उदयसिंह पुत्र नन्दसिंह हिस्सा 1/6, उमरावसिंह पुत्र

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

नन्दसिंह हिस्सा 1/12, किशनसिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 1/24, मानसिंह पुत्र [illegible]सिंह हिस्सा 1/12, राजकंवर पुत्री नन्दसिंह हिस्सा 1/12, राजेशकंवर पत्नी लालसिंह हिस्सा 1/24'' का नाम की प्रविष्टियों को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर उक्त विवादित 1/2 हिस्से में अनुपातिक रूप से वादीगण भवानीसिंह, विकलकिशोर सिंह एवं जगपालसिंह पुत्र नारायणसिंह को खातेदारी अभिधारी घोषित करते हुये वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें न ही करावें। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 मानसिंह पुत्र नन्दसिंह हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 03 उदयसिंह पुत्र नन्दसिंह हिस्सा 1/6 के हिस्से दर्ज रहन हिस्सा आईसीआईसीआई बैक लिमिटेड शाखा जैतारण को वादीगण के हिस्से में अनुपातिक रूप से दर्ज करते हुये उपरोक्त अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख को अद्यतन किया जावे। इसी कदर वाद-पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28.08.2025** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला– ब्यावर (राज0)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलाह | रूपये | पैसे |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | | | मिजानः– | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।